संख्या-491/2023/सा0-598/23-1-23-17सा0/21टीसी

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 08 जून, 2023

विषय- प्रदेश में लोक निर्मित किये जाने वाले मार्गों के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विसेज जैसे विद्युत केबिल/सीवर/ड्रेन आदि की स्थापना हेतु डक्ट निर्माण के मानकीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-392/एसईसी-(ड्रेन/डक्ट मानक)-ल0वृ0/22, दिनांक 13.12.2022 एवं पत्र संख्या-172/एसईसी-(ड्रेन/डक्ट मानक)/-ल0वृ0/22, दिनांक 02.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य के शहरी क्षेत्रों में निर्मित होने वाले नये मार्गों के निर्माण तथा पूर्व निर्मित मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढीकरण, पुनर्निर्माण आदि की स्थिति में सभी यूटिलिटी सर्विसेज को सुरक्षित रूप से स्थापित करने, सड़क सुरक्षा एवं जनसामान्य की सुविधा हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना निर्णीत हुआ है:-

(1) शहरी क्षेत्रों में मार्गों के किनारे विभिन्न यूटिलिटी सर्विसेज को स्थापित करने के लिए विधिवत डक्ट के प्राविधान हेतु IRC: 98-2011 Guidelines on accommodation of utility services on roads in Urban Areas में प्राविधानित व्यवस्था को अंगीकृत किया जाये। IRC: 98-2011 में होने वाले संशोधन स्वत: लागू/अंगीकृत माने जायेंगे।

(2) शहरी मार्गों पर मार्ग के नीचे/किनारों पर बिछायी गयी यूटिलिटी सर्विसेज का डिजिटल ले-आउट प्लान एवं डेटा बेस सम्बन्धित विभाग द्वारा तैयार किया जायेगा एवं इसे विभागीय पोर्टल के माध्यम से ए0पी0आई0 द्वारा अथवा सीधे प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे यूटिलिटी सर्विसेज की वर्तमान स्थिति से विभिन्न संस्थाएं अवगत रहें एवं इसका उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सके।

(3) यूटिलिटी डक्ट के निर्माण एवं रख-रखाव का दायित्व निर्माण करने वाली संस्था द्वारा ही व्यय वहन किया जायेगा ।

क्रमश:.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जिसके संयोजक मार्ग से संबंधित विभाग/संस्था के अधिशासी अभियन्ता से अन्यून अधिकारी होंगे एवं विभिन्न यूटिलिटीज से सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी समिति के सदस्य होंगे। जनपद में यूटिलिटी सर्विसेज से सम्बन्धित किसी भी विभाग द्वारा नये मार्गों/पूर्व निर्मित मार्गों पर यूटिलिटी सर्विसेज की नयी स्थापना, पूर्व में स्थापित सर्विसेज की मरम्मत/पुनःनिर्माण/क्षमता बढ़ाये जाने से पूर्व समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा, जिस पर सम्यक विचारोपरान्त IRC: 98-2011 Guidelines on accommodation of utility services on roads in Urban Areas के प्राविधानों के अनुरूप समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा एवं तदनुसार ही विभाग द्वारा कार्य सम्पादित कराया जायेगा।

(5) प्रारम्भिक निर्माण के समय यूटिलिटी डक्ट के आय-व्यय से वर्तमान में स्थित यूटिलिटी को यूटिलिटी डक्ट में शिफ्ट करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी की समिति के स्तर पर निर्णय लिया जायेगा। किसी यूटीलिटी की स्थापना/शिफ्टिंग की प्रक्रिया में यदि किसी अन्य यूटीलिटी अथवा यूटीलिटी डक्ट या मार्ग को कोई क्षति होती है तो इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा आंकलन करते हुए कार्यवाही/निराकरण किया जायेगा। किसी विवाद की स्थिति में जिलाधिकारी की समिति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

(6) यूटीलिटीज से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा यदि यूटीलिटी की डक्ट में स्थापना/शिफ्टिंग हेतु कोई शुल्क अथवा यूटीलिटी के रख-रखाव हेतु कोई सर्विस चार्ज तय किया हुआ हो तो उसकी वसूली की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी। सामान्यत: उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन शासकीय विभागों से सम्बन्धित शासकीय यूटीलिटी हेतु उस स्थिति में जबकि कोई शुल्क निर्धारित न हो, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। भारत सरकार के विभाग/अर्द्ध सरकारी विभाग तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अर्द्ध सरकारी विभाग तथा सांविधिक प्राधिकारी के बारे में यदि कोई व्यवस्था निर्धारित न हो तो यूटीलिटी डक्ट से सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा इस पर

क्रमश:.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अपने स्तर से निर्णय लिया जा सकता है। किसी निजी संस्था द्वारा यदि यूटीलिटी की स्थापना/शिफ्टिंग की जानी प्रस्तावित हो तो शुल्क से सम्बन्धित निर्णय प्रशासकीय विभाग द्वारा लिया जायेगा ।

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त निर्णय का तत्काल प्रभाव से कार्यान्वयन कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

कामता प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-491/2023/सा0-598/23-1-23, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
2- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/नियोजन विभाग/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग/नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग/औद्योगिक एवं अवस्थापना विभाग/उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/ पंचायती राज विभाग, उ0प्र0शासन।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
9- मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
11- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
12- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जल निगम, लखनऊ।
13- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
14- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद, उ0प्र0।
15- लोक निर्माण विभाग के समस्त अनुभाग।
16- वेबमास्टर, लोक निर्माण विभाग।
17- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

कामता प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in